http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 7-2023-डीएफए- 510660-38-7099-2478-2019

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2023

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों तथा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। परिसम्पत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का सघन एवं सतत अनुश्रवण व निरीक्षण तथा प्रयुक्त की जा रही सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में शासनादेश संख्या-1554/38-7-2009-25एनआरईजीए/2007 दिनांक 18 जून 2009 के द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सघन एवं सतत अनुश्रवण एवं निरीक्षण हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-771/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0/2020-21 दिनांक 08-03-2021 के माध्यम से कार्यों के नियोजन तथा सतत अनुश्रवण हेतु एसओपी का निर्धारण किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों के परिवर्धन में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय-

1. - **निर्माण कार्यों के सम्पादन से पूर्व प्रयुक्त होने वाली सामग्री के <u>परीक्षण के संबंध में-</u>**

   निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ईंटे इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीमेंट, सरिया आदि के नमूनों की गुणवत्ता का प्रयोगशाला परीक्षण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नमूने कार्यस्थल से लेकर निकटस्थ राजकीय प्रयोगशाला में भेजकर निर्धारित मानको हेतु परीक्षण अनिवार्य रूप से कराए जाएं। सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट मानक के अनुरूप प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान की पत्रावली चलाई जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नमूना, परीक्षण हेतु ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिया जाए जो कि परियोजना के क्रियान्वयन से सीधा जुड़ा हुआ न हो। सामग्री का नमूना एकत्रीकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विषयों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। नमूना फेल होने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म एवं टी०ए०/जे0ई0 के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

2. - **निर्माण कार्यों के सम्पादन के दौरान प्रयुक्त की जा रही सामग्री व <u>एकत्रित नमूनों हेतु कराये जाने वाले परीक्षण-</u>**

कार्य की संपादन की अवधि में किए जाने वाले फील्ड टेस्ट यथा-फाइनेंस माडुलस, सिल्ट कंटेंट आदि का परीक्षण कार्यस्थल पर किया जाए। इसके अतिरिक्त कंक्रीट कार्य के संपादन की दशा में Slump Test स्थल पर किया जाए तथा क्यूब मोल्ड में कंक्रीट के नमूने एकत्र कर इन्हें भी निर्धारित अवधि में राजकीय प्रयोगशाला में भेजकर टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उसे अभिलेखित किया जाए। इन परीक्षणों हेतु आवश्यक उपकरणों यथा-Slump Cone, Cube Mold, Sieve Set तथा भार तोलने का यंत्र, Flask की व्यवस्था विकास खण्ड स्तर पर सुनिश्चित की जाए, जिससे आवश्यकतानुसार इन्हें कार्यस्थल पर प्रयोग किया जा सके।

3. - <u>निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त कराये जाने वाले परीक्षण-</u>

क- कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत निर्माण की गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण यथा-Rebound Hammer, छेनी, हथौड़ा, स्प्रिट लेवल, रोडोमीटर आदि की उपलब्धता भी विकास खण्ड स्तर पर सुनिश्चित की जाए जिससे निरीक्षण के समय इनका प्रयोग किया जा सके।

ख- निरीक्षण के समय आवश्यकतानुसार कार्यस्थल से लिए गए नमूनों को भी राजकीय प्रयोगशाला में भेजकर इनकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर उसे अभिलेखित किया जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. **<u>गुणवत्ता उन्नयन हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u>**

1- मिट्टी के कार्यों में सतह का लेवल लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः विकास खण्ड स्तर पर लेविल मशीन का पूर्ण सेट अनिवार्य रूप से रखा जाए तथा आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2- मिट्टी के कार्यों में कॉम्पैक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों द्वारा मिट्टी का कॉम्पैक्शन केवल लोहे के दुरमुट से ही किया जाए और लोहे के दुरमुटो की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता विकास खण्ड स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

3- कार्य के संपादन से संबंधित तकनीकी कार्मिकों के पास मापन हेतु आवश्यक स्टील टेप, 30 मी० लंबा टेप, वर्नियर तथा सिल्ट की मात्रा के परीक्षण हेतु Measuring Flask की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जाए।

5. - गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों को क्रय किए जाने के संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-मनरेगा-सेल/575/90/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। समस्त उपकरणों के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित उपकरणों को आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए जेम(GeM) पोर्टल के माध्यम से ही क्रय किया जाय। यदि कोई सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो निर्धारित प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुरूप ही पारदर्शिता का पालन करते हुए क्रय किया जाय तथा के यकृत क्रय न किया जाय।
6. क्रय किए गए उपकरणों का प्रयोग कार्यों के परीक्षण में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी उपकरण अनुपयोगी ना हो तथा आवश्यकतानुसार कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण ससमय किया जा सके।

http://shrdsnadesh.up.gov.in

3- कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

संख्या- 7-2023-डीएफए- 510660-38-7099-2478-2019-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in